[2021] 6 एस.सी.आर. 599

नाथू सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 522 2021)

मई 28,2021

[एन। वी. रमण, सीजेआई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: अनुभाग.438 - अग्रिम जमानत - अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद सुरक्षात्मक आदेश का औचित्य - उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें नियमित जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 90 दिन का समय दिया और मंजूरी दे दी। उन्हें उक्त अवधि के लिए जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा - ऐसी राहत से व्यथित होकर, शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल अपील दायर की गई - माना गया: एक अदालत, चाहे वह सत्र न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, कुछ विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देने का निर्णय ले सकती है। समय की एक सीमित अवधि - न्यायालय को ऐसा करने के लिए अपने कारणों को बताना चाहिए, जो एक वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष चुनौती देने योग्य होगा - 90 दिनों की अवधि के लिए राहत देने में, न्यायालय ने जांच एजेंसी, शिकायतकर्ता की चिंताओं पर विचार नहीं किया है या अनुभाग.438(1) के तहत परंतुक जिसके लिए आवश्यक है कि न्यायालय कम से कम अवधि के लिए ऐसा असाधारण विवेकाधीन संरक्षण आदेश पारित करे जो उचित रूप से आवश्यक है - 90 दिन या तीन महीने की अवधि को किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता है। तात्कालिक तथ्यों और परिस्थितियों में - उच्च न्यायालय के आदेशों का परिणाम यह है कि न तो उत्तरदाता गिरफ्तारी से पहले जमानत के हकदार पाए जाते हैं, और न ही उन्हें लंबी अवधि के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है - उक्त अवधि के दौरान, वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं बलपूर्वक कार्रवाई की आशंका - इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्तों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करने में एक गंभीर त्रुटि की - उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश उसके न्यायिक विवेक से परे है और न्यायिक उदारता के समान होगा, जो न्यायालयों के पास नहीं है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. सुशीला अग्रवाल मामले में संविधान पीठ ने आधिकारिक तौर पर माना है कि जब कोई अदालत सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देती है, तो यह आमतौर पर एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होती है और मुकदमे के अंत तक जारी रहेगी। हालाँकि, न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि यदि तथ्य और परिस्थितियाँ उचित हों, तो न्यायालय राहत को एक निश्चित अवधि तक सीमित करने सहित विशेष शर्तें लगा सकता है। हालाँकि, इन अपीलों में, उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोपों की गंभीरता और गंभीरता पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी-अभियुक्तों के आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन को खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को कुछ राहत देना उचित समझा और उन्हें 90 दिनों के भीतर नियमित जमानत याचिका दाखिल करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें उस अवधि के दौरान किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके। [पैरा 14,16]

सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2020) 5 एससीसी 1: [2020] 2 एससीआर 1 - पर भरोसा किया गया।

2.1 सीआरपीसी की धारा 438 का फोकस, जब पूरी तरह से पढ़ा जाता है, तो स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से संबंधित होता है। धारा 438(1) स्पष्ट रूप से कुछ कारकों को निर्धारित करती है जिन पर मांगी गई राहत देने से पहले न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। धारा 438(2) उन शर्तों को बताती है जो राहत देते समय न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं। धारा 438(3) धारा के तहत राहत प्रदान करने के परिणामों को निर्धारित करती है। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक बार आवेदन करने पर क्या कार्रवाई होगी, इसके संबंध में एकमात्र मार्गदर्शन। सीआरपीसी की धारा 438(1) के प्रावधान में यह पाया गया है कि एक बार आवेदन खारिज कर दिया जाता है, या मामले से जुड़ी अदालत अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर देती है, तो पुलिस गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र है। आवेदक। [पैरा 18,19]

2.2 सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों की कोई व्याख्या। इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत किसी आवेदन का अनुदान या अस्वीकृति। इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर पड़ता है। इस क्षेत्राधिकार की उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 21

में निहित है, जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम है। इसलिए प्रावधान को उदारतापूर्वक पढ़ने की जरूरत है, और इसकी लाभकारी प्रकृति को देखते हुए, न्यायालयों को उन सीमाओं या प्रतिबंधों में नहीं पढ़ना चाहिए जिनके लिए विधायिका ने स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया है। भाषा में किसी भी अस्पष्टता का समाधान राहत चाहने वाले आवेदक के पक्ष में किया जाना चाहिए। परंतुक कोई अधिकार या प्रतिबंध नहीं बनाता है। बल्कि, परंतुक का एकमात्र उद्देश्य प्रकृति में स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। यह केवल अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट प्रस्ताव को दोहराता है कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय से कुछ सुरक्षा नहीं मिलती, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यदि धारा 438(1) का प्रावधान, सी.आर.पी.सी. आवेदक को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने में बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है, प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि कानून के किस प्रावधान के तहत न्यायालय किसी आवेदक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उसे राहत जारी कर सकता है। [पैरा 20,21,22]

3. धारा 482, सीआरपीसी स्पष्ट रूप से न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करने की उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देती है। यह प्रावधान इस वास्तविकता को दर्शाता है कि कोई भी कानून या नियम संभवतः जीवन की जटिलताओं और भविष्य में उत्पन्न होने वाली अनंत परिस्थितियों का कारण नहीं बन सकता है। यहां तक कि जब अदालत किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं होती है, तब भी ऐसा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ उच्च न्यायालय की राय है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए संरक्षित करना आवश्यक है, जब तक कि वे ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देते। उदाहरण के लिए, आवेदक कुछ समय के लिए सुरक्षा की गुहार लगा सकता है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों का प्राथमिक देखभालकर्ता या कमाने वाला है, और उसे उनके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, जब अग्रिम जमानत देने के लिए कोई सख्त मामला नहीं बनता है, और इसके बजाय जांच प्राधिकारी ने हिरासत में जांच के लिए मामला बनाया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के पास न्याय सुनिश्चित करने की कोई शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस तरह का आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हालाँकि, ऐसी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग अनियंत्रित तरीके से नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को धारा 438, सीआर.पी.सी. के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से, धारा 438 (1), सीआर.पी.सी. के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए, और जांच

एजेंसी, शिकायतकर्ता और बड़े पैमाने पर समाज की चिंताओं के साथ संतुलन बनाना चाहिए। /आवेदक का हित। इसलिए, इस तरह के आदेश को जांच प्राधिकारी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आवेदक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश तर्कसंगत होना चाहिए। [पैरा 23,24,25]

गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य **(1980) 2 एससीसी 565: [1980] 3 एससीआर 383 - पर भरोसा किया गया।**

केस कानून संदर्भ

[2020] 2 एससीआर 1 पैरा 13 पर निर्भर था

[1980] 3 एससीआर 383 पैरा 20 पर निर्भर था

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की आपराधिक अपील संख्या 522।

आपराधिक विविध में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 08.02.2021 से। अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2219/2021।

ध्रुव गौतम, देवाशीष चौहान, शाश्वत ध्यानी, सुश्री चारू अंबवानी, सर्वेश सिंह बघेल, मुख्तार आलम, सुश्री पूजा सिंह, अमीर खान, सुश्री शिवरंजनी रलावता, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए.

एमएस यादव, अशोक क्र. तोबरिया, एस. वाई. उस्मानी, जुगुल किशोर गुप्ता, के. आर. फरीदी, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एन. वी. रमण, सीजेआई

1. अनुमति स्वीकृत

.

2. वर्तमान आपराधिक अपीलें, विशेष अनुमति के माध्यम से, कानून का सामान्य प्रश्न उठाती हैं और इसलिए उन्हें एक साथ निपटाया जा रहा है।

3. दोनों आक्षेपित आदेशों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए, उन्हें नियमित जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 90 दिन का समय दिया और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। उक्त अवधि. इस तरह की राहत दिए जाने से व्यथित होकर, दोनों मामलों में शिकायतकर्ता वर्तमान में हमारे समक्ष अपील में हैं।

4. चूंकि केवल कानून का प्रश्न उठाया जा रहा है, इसलिए इस न्यायालय के लिए दोनों मामलों के तथ्यों पर व्यापक रूप से विचार करना आवश्यक नहीं है। यह बताना पर्याप्त है कि पहले मामले में, नाथू सिंह से संबंधित, अपीलकर्ता की बेटी की शादी प्रतिवादी संख्या से हुई थी। उस मामले में दिनांक 14.02.2014 को 2. चूँकि 02.01.2021 को उसके वैवाहिक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई, शिकायतकर्ता ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के साथ आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत पुलिस स्टेशन मसूरी, गाजियाबाद में एफआईआर संख्या 07/2021 दर्ज की। उत्तरदाताओं की संख्या 2 से 5.

5. दूसरे मामले में, आरोप यह है कि भूमि के अतिक्रमण से संबंधित पक्षों के बीच विवाद के कारण, उस मामले में प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता के भाई और उसके दो बेटों पर हमला किया गया था। दोनों बेटों के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला किया गया, जिनमें से एक की खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वह एक सप्ताह तक कोमा में रहा। दूसरे के सिर पर चोट के निशान थे। शिकायतकर्ता ने आईपीसी की धारा 307, 504 और 34 के तहत पुलिस स्टेशन थाना भवन, शमिली में एफआईआर संख्या 371/20 दर्ज की।

6. दोनों मामलों में उत्तरदाताओं ने चल रही जांच के दौरान सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी। दिनांक 08.02.2021 और 28.01.2021 के आक्षेपित आदेशों के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के आवेदनों को खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें समान शब्दों वाले आदेशों में उपरोक्त राहत प्रदान की। आदेश का प्रासंगिक भाग, जैसा कि दिनांक 08.02.2021 के विवादित आदेश से निकाला गया है, इस प्रकार है:

"... पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के साथ-साथ अभियुक्तों की मिलीभगत और पी के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का अवलोकन करने के बाद। **चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय**, एआईआर 2019 एससी 4198, इस न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं मिला।

हालाँकि, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आवेदकों के विद्वान वकील के अनुरोध पर, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक आज से 90 दिनों के भीतर निचली अदालत में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करेंगे और जमानत के लिए आवेदन करेंगे। जमानत के लिए उनकी प्रार्थना **पर अमरावती और अन्य बनाम यूपी राज्य** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार विचार और निर्णय लिया जाएगा। 2004 (57) एएलआर 290 में रिपोर्ट की गई और साथ ही ***लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम यूपी राज्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भी दिया गया। 2009 में रिपोर्ट किया गया (3) एडीजे 322 (एससी)।

<u>तब तक, आवेदकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी..."</u>

(जोर दिया गया)

7. आक्षेपित आदेशों से व्यथित होकर शिकायतकर्ताओं-अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

8. अपीलकर्ताओं, प्रतिवादी-राज्य और प्रतिवादी-अभियुक्तों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने, विद्वान राज्य वकील द्वारा समर्थित, आग्रह किया कि एक बार जब उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को पूर्व-गिरफ्तारी की अंतिम राहत से इनकार कर दिया, तो वह उन्हें कोई और सुरक्षा नहीं दे सकता। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 438, सीआर.पी.सी. किसी आरोपी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने पर ऐसी कोई सुरक्षा देने पर विचार नहीं करता है। बल्कि, सीआरपीसी की धारा 438(1) का प्रावधान। विशेष रूप से आरोपी के आवेदन में मांगी गई राहत की अस्वीकृति पर उसकी गिरफ्तारी का प्रावधान है। आक्षेपित आदेश, जिसमें उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को उनके आवेदन को खारिज करने के

बाद सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया था। विद्वान राज्य के वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों ने चल रही जांच में बाधा उत्पन्न की है क्योंकि पुलिस को आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करने से इनकार कर दिया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों मामलों में अपराध की प्रकृति गंभीर और जघन्य है।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी-अभियुक्तों के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को उचित ठहराया और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के पास न्याय के हित में ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति है।

11. वर्तमान अपीलों में न्यायालय द्वारा उत्तर दिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय, उत्तरदाताओं की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए, उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर सकता था।

12. वे विचार जिनके आधार पर न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत राहत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना है। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्णय लिया गया है और किसी पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है।

13. **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2020) 5 एससीसी 1** में इस न्यायालय की हालिया संविधान पीठ के फैसले ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सीमा को स्पष्ट कर दिया है। न्यायालय ने अंततः इस प्रकार निर्णय दिया:

"91.1. प्रश्न 1 के संबंध में, इस न्यायालय का मानना है कि धारा 438 सीआरपीसी के तहत किसी व्यक्ति को दी गई सुरक्षा हमेशा एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होनी चाहिए; इसे समय पर किसी प्रतिबंध के बिना आरोपी के पक्ष में सुनिश्चित करना चाहिए। धारा 438(2) के साथ पठित धारा 437(3) के तहत सामान्य शर्तें लागू की जानी चाहिए; यदि किसी अपराध के संबंध में विशिष्ट तथ्य या विशेषताएं हैं, तो अदालत किसी भी उचित शर्त (राहत की निश्चित प्रकृति या उसके किसी घटना से जुड़े होने सहित) लगाने के लिए स्वतंत्र है वगैरह।

91.2. इस न्यायालय में संदर्भित दूसरे प्रश्न के संबंध में, यह माना जाता है कि अग्रिम जमानत आदेश का जीवन या अवधि सामान्य रूप से उस समय और

चरण में समाप्त नहीं होती है जब अभियुक्त को अदालत द्वारा बुलाया जाता है,

या जब आरोप तय किए जाते हैं, लेकिन जारी रह सकता है मुकदमे के अंत तक. फिर, यदि ऐसी कोई विशेष या अनोखी विशेषता है जिसके कारण अदालत को अग्रिम जमानत की अवधि सीमित करने की आवश्यकता होती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।"

(जोर दिया गया)

14. **सुशीला अग्रवाल** (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ ने आधिकारिक तौर पर माना है कि जब कोई अदालत सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देती है, तो यह आमतौर पर एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होती है और मुकदमे के अंत तक बनी रहेगी। हालाँकि, न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि यदि तथ्य और परिस्थितियाँ उचित हों, तो न्यायालय राहत को एक निश्चित अवधि तक सीमित करने सहित विशेष शर्तें लगा सकता है।

15. इसलिए यह स्पष्ट है कि एक न्यायालय, चाहे वह सत्र न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, कुछ विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत देने का निर्णय ले सकता है। न्यायालय को ऐसा करने के लिए अपने कारणों का उल्लेख करना चाहिए, जो एक वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष चुनौती योग्य होगा। बिना कारण बताए ऐसा करना, **सुशीला अग्रवाल** (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत होगा। इसलिए यदि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका को 90 दिनों की सीमित अवधि के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया होता, तो इस न्यायालय के समक्ष कार्य कुछ हद तक आसान होता। हमें केवल **सुशीला अग्रवाल** (सुप्रा) मामले में फैसले के संदर्भ में ऐसी विशेष शर्त लगाने के लिए न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों, यदि कोई हो, का आकलन करना होगा।

16. हालाँकि, वर्तमान अपीलों में, उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोपों की गंभीरता और गंभीरता पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी-अभियुक्तों के आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन को खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को कुछ राहत देना उचित समझा और उन्हें 90 दिनों के भीतर नियमित जमानत याचिका दाखिल करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें उस अवधि के दौरान किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके। अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता इससे व्यथित हैं और अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इस तरह का सुरक्षात्मक आदेश पारित करने की अदालत की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं।

17. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या न्यायालय ऐसे आदेश पारित कर सकता है, पहले प्रासंगिक प्रावधान, अर्थात धारा 438, सीआरपीसी का विश्लेषण करना आवश्यक है। धारा 438, सीआरपीसी का प्रासंगिक भाग। नीचे निकाला गया है:

438. गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश

(1) जहां किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस धारा के तहत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ऐसी गिरफ्तारी पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा; और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ- साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद, निष्कर्ष निकाल सकता है, अर्थात्: -

XXX

<u>या तो आवेदन को तुरंत खारिज करें या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी करें:</u>

बशर्ते कि, <u>जहां उच्च न्यायालय या. जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उप-धारा के तहत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया है, यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए खुला होगा। , आवेदक ऐसे आवेदन में लगाए गए आरोप के आधार पर।</u>

XXX

(2) जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उप-धारा (1) के तहत कोई निर्देश देता है, तो वह विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, जिसमें शामिल हैं -

XXX

(3) यदि ऐसे व्यक्ति को उसके बाद ऐसे आरोप पर किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय ऐसे अधिकारी की हिरासत में जमानत देने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे जमानत देनी होगी जमानत पर रिहा किया जा सकता है, और यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय

लेता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ पहली बार में वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उप-धारा (1) के तहत न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा।

(जोर दिया गया)

18. सीआरपीसी की धारा 438 का फोकस, जब पूरी तरह से पढ़ा जाता है, तो स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से संबंधित होता है। धारा 438(1) स्पष्ट रूप से कुछ कारकों को निर्धारित करती है जिन पर मांगी गई राहत देने से पहले न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। धारा 438(2) उन शर्तों को बताती है जो राहत देते समय न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं। धारा 438(3) धारा के तहत राहत प्रदान करने के परिणामों को निर्धारित करती है।

19. सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आवेदन के बाद क्या होगा, इसके संबंध में एकमात्र मार्गदर्शन। सीआरपीसी की धारा 438(1) के प्रावधान में यह पाया गया है कि एक बार आवेदन खारिज कर दिया जाता है, या मामले से जुड़ी अदालत अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर देती है, तो पुलिस गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र है। आवेदक। यह वह प्रावधान है जिस पर वर्तमान अपीलकर्ताओं ने यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि उच्च न्यायालय ने, एक बार जब प्रतिवादी-अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो उसके पास कोई और राहत देने की शक्ति नहीं थी।

20. प्रथम दृष्टया, हालांकि यह प्रस्तुतिकरण आकर्षक प्रतीत होता है, हमारी राय है कि प्रावधान का ऐसा विश्लेषण अधूरा है। सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों की कोई भी व्याख्या अब एकीकृत नहीं रह गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत किसी आवेदन का अनुदान या अस्वीकृति। इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर पड़ता है। इस क्षेत्राधिकार की उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम है। इसलिए प्रावधान को उदारतापूर्वक पढ़ने की जरूरत है, और इसकी लाभकारी प्रकृति को देखते हुए, न्यायालयों को उन सीमाओं या प्रतिबंधों में नहीं पढ़ना चाहिए जिनके लिए विधायिका ने स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया है। भाषा में किसी भी अस्पष्टता का समाधान राहत चाहने वाले आवेदक के पक्ष में किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, यह न्यायालय, **गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565**

में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में, जिसे हाल ही में **सुशीला अग्रवाल** (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, के रूप में माना गया था इस प्रकार है:

"26. हमें श्री तारकुंडे की इस दलील में काफी दम नजर आता है कि चूंकि जमानत से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है, इसलिए अदालत को धारा 438 के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ झुकना चाहिए, खासकर जब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो उस अनुभाग की शर्तों में विधायिका। धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो निर्दोषता की धारणा के लाभ का हकदार है क्योंकि वह अग्रिम जमानत के लिए अपने आवेदन की तारीख पर अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। जिस पर वह जमानत चाहता है। बाधाओं और शर्तों का अत्यधिक उदार मिश्रण जो धारा 438 में नहीं पाया जाता है, इसके प्रावधानों को संवैधानिक रूप से कमजोर बना सकता है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अनुचित प्रतिबंधों के अनुपालन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। धारा 438 में निहित लाभकारी प्रावधान को बचाया जाना चाहिए, न कि खत्म किया जाना चाहिए..."

(जोर दिया गया)

21. जब धारा 438(1) का प्रावधान, सी.आर.पी.सी. उपरोक्त कथन के अनुरूप विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि परंतुक कोई अधिकार या प्रतिबंध नहीं बनाता है। बल्कि, परंतुक का एकमात्र उद्देश्य प्रकृति में स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। यह केवल अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट प्रस्ताव को दोहराता है कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय से कुछ सुरक्षा नहीं मिलती, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। **गुरबख्श सिंह सिब्बिया** (सुप्रा) के फैसले के अनुरूप, प्रावधान को न्यायालय की शक्ति पर रोक के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

22. यदि धारा 438(1), सी.आर.पी.सी. का परन्तुक। आवेदक को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने में बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है, प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि कानून के किस प्रावधान के तहत न्यायालय किसी आवेदक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उसे राहत जारी कर सकता है।

23. इस प्रश्न पर जाए बिना कि क्या धारा 438, सी.आर.पी.सी. स्वयं ऐसी शक्ति की अनुमति देता है, क्योंकि वर्तमान मामले में ऐसा अभ्यास करना आवश्यक

नहीं है, यह स्पष्ट है कि जब उच्च न्यायालय की बात आती है, तो ऐसी शक्ति मौजूद होती है। सीआरपीसी की धारा 482 स्पष्ट रूप से न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करने की उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देती है। यह प्रावधान इस वास्तविकता को दर्शाता है कि कोई भी कानून या नियम संभवतः जीवन की जटिलताओं और भविष्य में उत्पन्न होने वाली अनंत परिस्थितियों का कारण नहीं बन सकता है।

24. हम उन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं रह सकते जिनका सामना अदालतों को अग्रिम जमानत आवेदनों से निपटते समय दिन-ब-दिन करना पड़ता है। यहां तक कि जब अदालत किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं होती है, तब भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां उच्च न्यायालय की राय है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए संरक्षित करना आवश्यक है, जब तक कि वे आत्मसमर्पण नहीं कर देते। ट्रायल कोर्ट. उदाहरण के लिए, आवेदक कुछ समय के लिए सुरक्षा की गुहार लगा सकता है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों का प्राथमिक देखभालकर्ता या कमाने वाला है, और उसे उनके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, जब अग्रिम जमानत देने के लिए कोई सख्त मामला नहीं बनता है, और इसके बजाय जांच प्राधिकारी ने हिरासत में जांच के लिए मामला बनाया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के पास न्याय सुनिश्चित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह न्यायालय इस तरह का आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है।

25. हालाँकि, ऐसी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग निर्बाध तरीके से नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को धारा 438, सीआर.पी.सी. के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से, धारा 438 (1), सीआर.पी.सी. के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए, और जांच एजेंसी, शिकायतकर्ता और बड़े पैमाने पर समाज की चिंताओं के साथ संतुलन बनाना चाहिए। /आवेदक का हित। इसलिए, इस तरह के आदेश को जांच प्राधिकारी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आवेदक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश तर्कसंगत होना चाहिए।

26. वर्तमान अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, ऊपर दिए गए किसी भी मानक को पूरा नहीं करते हैं। हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं: *सबसे पहले*, अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद, अपराध की

प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए उत्तरदाताओं को राहत दे दी है। *दूसरे*, 90 दिनों की अवधि के लिए राहत देने में, न्यायालय ने जांच एजेंसी, शिकायतकर्ता या सीआरपीसी की धारा 438(1) के तहत प्रावधान की चिंताओं पर विचार नहीं किया है, जिसके लिए न्यायालय को ऐसा पारित करना आवश्यक है। उचित रूप से आवश्यक न्यूनतम अवधि के लिए असाधारण विवेकाधीन सुरक्षा आदेश। वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में 90 दिन या तीन महीने की अवधि किसी भी तरह से उचित नहीं मानी जा सकती।

27. इसलिए विवादित आदेश कानूनी जांच के लायक नहीं हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों का परिणाम यह हुआ कि न तो उत्तरदाता गिरफ्तारी से पहले जमानत के हकदार पाए गए और न ही उन्हें लंबी अवधि के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। उक्त अवधि के दौरान वे किसी दंडात्मक कार्रवाई की आशंका के बिना स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इस प्रकार हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्तों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करके गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय का ऐसा निर्देश उसके न्यायिक विवेक से परे है और न्यायिक उदारता के समान है, जो न्यायालयों के पास नहीं है।

28. उपरोक्त कारणों से, वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2219 02021 में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2021, और आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1700 02021 में दिनांक 28.01.2021 के आदेश में, 90 दिनों के लिए सुरक्षा देने की सीमा तक उत्तरदाताओं-अभियुक्तों को अलग कर दिया जाता है, जिससे जांच एजेंसी के लिए कानून के अनुसार मामलों में आगे बढ़ने और जांच पूरी करने का अधिकार खुला रह जाता है। यदि प्रतिवादी-अभियुक्तों को इस बीच न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो नियमित जमानत के लिए उनके आवेदन या जांच अधिकारी द्वारा उनके पुलिस रिमांड के लिए किए गए किसी भी अनुरोध का फैसला सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना।

29. तदनुसार आदेश दिया गया।

देविका गुजराल अपील की अनुमति

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादि।